

रिपोर्ट, पटवारी हल्का / आई०एल०आर०  
 आवेदन पत्र के सम्बन्ध में जांच की गई। जिसके अनुसार

महोदय, निम्न है कि राजस्व गत  
 जिला के खाता सं. 108 में महावीर पुत्र बागाराम रिकार्ड है जबकी अन्य  
 रिकार्ड में महावीर पुत्र बागाराम दर्ज है। अतः प्रार्थी का नाम  
 महावीर पुत्र बागाराम के नाम पर शुद्ध किया जाना उचित है।  
 दिनांक 22/6/23

क्रमांक : राजस्व/2020/207

दिनांक :- 22/06/2023

मूल ही उपखण्ड अधिकारी महोदय, उदयपुरवाटी को प्रेषित कर निवेदन है कि आवेदन पत्र में वर्णितानुसार आवेदक का नाम दुरुस्त किया जाना उचित है / उचित है। आवेदक का नाम दुरुस्त किये जाने की अभिशंका की जाती है / की जाती है।

22/06/23  
 22/06/23  
 22/06/23  
 तहसीलदार उदयपुरवाटी (स.स.)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर उदयपुरवाटी जिला झुंझुनू (राज.)

आदेश :-

दिनांक :-

प्रार्थी के "खाता दुरुस्ती" प्रार्थना पत्र, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्षों एवं तहसीलदार (भू०अ०) उदयपुरवाटी/गुढागौड़जी की रिपोर्ट के आधार पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 136 के अनुसरण में निम्नांकित दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर तहसीलदार (भू०अ०), उदयपुरवाटी/गुढागौड़जी को राजस्व रिकार्ड में अमल दरागद के आदेश दिये जाते हैं।

क्र.सं.	ग्राम	जमाबन्दी संवत्	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जानी है।)
2	म.स.स. (स.स.)	2075-78	108	महावीर पुत्र बागाराम दि० 1/77 6/84 महावीर पुत्र बागाराम दि० 1/76	महावीर पुत्र बागाराम दि० 1/27 - 12368

नोट :- शेष प्रविष्टियां यथावत रहेंगी तथा यदि उक्त भूमि रहन हो तो रहन मुफ्त होने के उपरान्त निर्णय की पालना की जावे।

287  
 22/6/23

22/6/23  
 उपखण्ड अधिकारी, उदयपुरवाटी  
 प्रभारी जांचकर्ता  
 प्रशासन गांवों के संग अभियान - 2023  
 उपखण्ड अधिकारी  
 उदयपुरवाटी

क्रमांक :- राजस्व/2020/207  
 प्रतिलिपि :-

1. तहसीलदार (भू०अ०) उदयपुरवाटी/गुढागौड़जी को वास्ते पालनार्थ।
2. प्रार्थी/प्रार्थीया को सूचनार्थ।

22/6/23  
 उपखण्ड अधिकारी, उदयपुरवाटी

प्रभारी जांचकर्ता  
 उपखण्ड अधिकारी  
 उदयपुरवाटी

